जिला स्तरीय नार्को कोर्डिनेशन सेंटर की बैठक में अवैध बिक्री, जागरूकता, मॉनिटरिंग पर हुई चर्चा

कोटपूतली। नार्को कोर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में हुईइस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। जिला कलक्टर ने जिले में ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमएचओ को अनाधिकृत चिकित्सक एवं औषधि विक्रेताओं (झोलाछाप) के विरूद्ध कार्यवाही करने, मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा. उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित घटक दवाओं की बिक्री न हो यह सुनिश्चित करें। अनियमितता पाये जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाईसेंस निरस्त कर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने शराब बिक्री के लिए सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करने वालो, हथकड़ शराब कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्यवाही करने एवं फील्ड में जाकर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश एक्साइज विभाग को दिए।

उन्होंने जिले में नशा मुक्ति के लिये समुचित रूप से प्रभावी कार्यवाही करने और नशा मुक्त अभियान में आमजन की सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को और प्रभावी करने और शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से नशे के दुष्प्रभावों व रोकथाम के बारे में जागरूक करने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी को जिले में नियम विरूद्ध संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने नियम विरूद्ध शराब बिक्री पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हथकड़ शराब बनाने वालों, हुक्काबार चलाने वालों एवं ई सिगरेट, वीड, ड्रग्स, गांजा एवं नशे की टेबलेट का व्यापार करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने को कहा।

उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिये अब तक हुई कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त एजेंसियां आपसी तालमेल से तस्करी पर रोक लगायें। नशीले दवाओं के व्यापार में संलिप्त मेडिकल स्टोर व अन्य दुकानदारों व व्यक्ति पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये ताकि इनकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम बृजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण, समाज कल्याण अधिकारी विपिन सहित संबंधित शिक्षा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें।

अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ।

- कलक्टर ने ड्रग इंस्पेक्टर व सीएमएचओ को अनाधिकृत चिकित्सक एवं औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने, मेडिकल दुकानों का निरीक्षण करने को कहा

छात्रों ने थानाधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

भरतपुर। भुसावर में निजी विद्यालयों के छात्रों ने खेड़ली मोड़ थानाधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने रैली निकालकर थानाधिकारी पर एक निजी विद्यालय के प्राचार्य के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) धर्मेंद्र शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। यह मामला बाछरैन गांव के एक निजी विद्यालय के प्राचार्य लवकुश शर्मा के साथ खेड़ली मोड़ थानाधिकारी बलराम यादव द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और मारपीट कर धारा 151 में बंद करने से जुड़ा है। इस घटना के बाद से निजी विद्यालय संचालकों में रोष व्याप्त है, और अब सैकड़ों छात्र भी इस विरोध में शामिल हो गए हैं।

ज्ञापन में बताया गया है कि 26 सितंबर 2025 को थानाधिकारी बलराम यादव ने एक सिपाही को स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चों की टी.सी. लेने भेजा था।

दिव्यांगजन कल्याण दिवस पर हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम

निवाई। योगेश विशेष विद्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक एवं योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगरपालिका दिलीप इसरानी, अध्यक्षता कर रहे ज्ञानचन्द सोगाणी व संस्था सचिव सीताराम स्वामी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण करके किया। समारोह में दिव्यांग बालकों द्वारा स्वागत गीत, पिरामिड योगा, सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के भावों के साथ नाटक अभिव्यक्ति के माध्यम से युवा पीढी के सामाजिक संस्कारों में आ रही गिरावट व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी प्रकार पर्यावरण क्षमता के नुकसान एवं दुष्प्रभाव को व्यक्त कर पेड़ पौधों एवं प्राकृतिक संपदा को बचाने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने विद्यालय की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगेश विशेष विद्यालय ने संपूर्ण राजस्थान में निवाई की अलग पहचान बनाई है। इस प्रकार के विद्यालय की क्षेत्र में महत आवश्यकता थी, जो योगेश विशेष विद्यालय ने पूरी की है। यह विद्यालय दिव्यांग बालकों को ही नहीं सभी दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान कर उनका संपूर्ण सहयोग करता रहा है।

उन्होंने कहा कि धन्य है सभी गुरूजन जो इन बालकों को तरास रहे हैं। संस्था सचिव सीताराम स्वामी ने बताया कि विद्यालय में प्रातः खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें बूची, लंबी कूद गोला फेक, कुर्सी दौड़, केरम, निशाना लगाना व गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जिसमें बालकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विजेताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बालकों का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मुकेशकुमार प्रजापत, वरिष्ठ सहायक चाँदमल सैनी, राजस्थान विकलांग मंच निवाई के अध्यक्ष भैरुलाल सेन ने भी विचार व्यक्त किया। संस्था सचिव डॉ सीताराम स्वामी ने संस्था द्वारा दिव्यांग बालकों की शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन करवाते हुए उनका उपयोग करने की विधि की जानकारी दी तथा संस्थान की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर 08 दिव्यांग बालकों को विभाग द्वारा श्रवण यन्त्र दिए गए। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के कोऑर्डिनेटर मनोज स्वामी ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन अरविंदकुमार टेलर ने किया।

- धन्य है सभी गुरूजन जो इन दिव्यांग बालकों को तरास रहे हैं - दिलीप इसरानी

अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर की कार्यवाही

अलवर। आने वाले त्योहारों को देखते हुए बाजारों में अवैध तरीके से वाहनों को खड़ा करने और दुकानदारो द्वारा सडक पर अतिक्रमण हटाने के लिए अलवर पुलिस और यातायात पुलिस ने कार्यवाही की है।

एसपी अलवर सुधीर चौधरीने जानकारी देते हुए बताया कि कांबले शरण गोपीनाथ (आईपीएस) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला अलवर व मुकेश चौधरी सीओ यातायात जिला अलवर के निकटतम सुपरविजन में प्रभारी यातायात शाखा अलवर ने जाब्ता सहित त्यौहार के सीजन को मध्यनजर रखते हुए चर्च रोड, नगर निगम के सामने से लेकर घंटाघर, होपसर्कस से लेकर त्रिपोलिया तक, पंसारी बाजार एवं आस पास की आम सडक़ पर मार्गों के बीच में अवैध पार्किंग में खडे हुए वाहनों के खिलाफ एमवी. एक्ट में कार्यवाही की गई तथा दुकानदारों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को नगर निगम के सहयोग से हटाया गया। दुकानदारो को आगामी त्योहारों के मध्यनजर अतिक्रमण नही करने की समझाइश की गई।

बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट में उमड़े लोग

निवाई। प्रताप स्टेडियम में नगरपालिका मण्डल के तत्वावधान में बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पन्या सेपट व योगेश रजवाड़ा, बॉलीवुड डांस ग्रुप, पिहू जैन एंड डांस ग्रुप द्वारा कई सांस्कृतिक व राजस्थानी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार बॉलीवुड प्लेबैक द्वारा नए-पुराने नगमों की प्रस्तुतियां सहित कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई जिसको देखने के लिए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से महिला व पुरूषों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा व अधिशाषी अधिकारी मनोहरलाल जाट ने सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम में मानसिंह गौरा सिंह के सानिध्य में बोम्बे की डांसर पीहू जैन द्वारा बॉलीवुड म्यूजिकल डांस सहित कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।

20 महीने से फरार चल रहा मादक पदार्थ सप्लायर गिरफ्तार

नारायणपुर। नारायणपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लंबे समय से फरार चल रहे मादक पदार्थ सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुरारी लाल (35) पुत्र चिरंजी लाल सैनी निवासी बास बैरिसाल तन नारायणपुर के रूप में हुई है, जो करीब 20 महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रेलर में बैठकर जा रहा है।

इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रागपुरा से आरोपी को ट्रेलर से पकड़ लिया। गौरतलब है कि 15 जनवरी 2024 को राजपुरा मोहल्ले में एक लावारिस पिकअप संदिग्ध हालात में खड़ी मिली थी। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें आंवला से भरे 30 कट्टों के नीचे छिपाकर रखे गए 6 काले प्लास्टिक कट्टों में करीब 1 क्विंटल 19 किलो डोडा पोस्त चूरा बरामद किया गया था।

इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया था, जबकि पिकअप चालक व मादक पदार्थ सप्लायर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की विशेष टीम ने मामले में लगातार निगरानी रखते हुए आरोपी की तलाश जारी रखी और आखिरकार मंगलवार को मुख्य सप्लायर मुरारी लाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया।

नारायणपुर पुलिस ने फरार चल रहे मादक पदार्थ सप्लायर को गिरफ्तार किया।

जिला कलक्टर ने ली जिला निष्पादन समिति की समीक्षा बैठक

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज कलक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक लेकर प्रोजेक्ट ई-विद्या, बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्ययोजना एवं मिड-डे मील योजना की समीक्षा कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष फोकस करते हुए विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष अभियान के माध्यम से बोर्ड परीक्षा कक्षा दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों की श्रेणी निर्धारित की गई ए, बी व सी श्रेणी में अपग्रेडेशन किया जावे। इसके लिए उन्होंने प्रथम टेस्ट में 40 प्रतिशत तथा अद्र्ध वार्षिक परीक्षा में शत प्रतिशत चिन्हित विद्यार्थी अपनी श्रेणी से अपग्रेड होवे। राज्य सरकार से प्राप्त राशि 61.5 लाख रूपये से 90 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगेंगे, 20 स्कूलों में जहां छात्राओं की संख्या अधिक है एवं टॉयलेट ठीक स्थिति में नहीं है वहां टॉलेट्स का अपग्रेडेशन, 2 स्कूलों में लर्निंग एक्टिविटिज तथा एक स्कूल में डिजिटल लैब बनेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि इस राशि का सदुपयोग इस प्रकार से किया जावे कि जिससे विद्यालय के विकास के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में उच्च स्तरीय सुधार होवे जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि प्रोजेक्ट ई-विद्या के तहत जिले में पीईईओ स्तर के 210 क्रियाशील ई-लाइब्रेरी एवं 33 प्रगतिरत ई-लाइब्रेरी वाले विद्यालयों के अतिरिक्त शेष में यथाशीघ्र लाइब्रेरी की स्थापना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों की सहभागिता से प्रत्येक विद्यालय की ई-मैगज़ीन एवं ब्लॉग क्रिएशन कर बच्चों से रचनात्मक लेखन करवाएं।

- मिड-डे मील योजना की समीक्षा कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक ली।

आम सूचना

मैं अक्षय चावला पिता चंदालाल मैंने कमला देवी पत्नी लालचंद नारोलिया चाकसू से आसोलाई विहार प्लॉट नंबर 14-ए, खरीदा था जिसके कागजात सोसाइटी दलपतपुरा गृह निर्माण समिति द्वारा जारी है उक्त प्लाट के मूल कागजात कहीं खो गए है मिलने पर संपर्क करें मो.नं. 9001728714

आम सूचना मैं मो. अतीक पुत्र मो. सद्दीक, निवासी मं. 709, चीनी की बुर्ज, गणगौरी बाजार जयपुर त्रिपोलिया बाजार जयपुर राजस्थान 302002, ने अपने पुत्र सोहेल खान को उसके गलत चाल चलन एवं व्यवहार के कारण हमेशा के लिये अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है। मेरा पुत्र सोहेल खान से अब कोई सम्बन्ध व नाता नहीं रहा है तथा मेरी किसी भी चल व अचल सम्पत्तियों में किसी प्रकार का सोहेल खान का कोई हक व अधिकार नहीं होगा। जो भी व्यक्ति उससे किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा वह व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होगा। अतः मेरे पुत्र सोहेल खान द्वारा किये गए किसी भी कृत्य व लेन देन का जिम्मेदार मै नहीं हूँ।
आदिल अहमद कुरैशी, एडवोकेट
मो.नं. 7742939786

NOTICE

Kapil Saraf Passport No. 51231825 S/o Shri Sitaram Beswal and Smt. Sudha Devi R/o Near Pani ki tanki, ward no.22, Mukundgarh, Dist. Jhunjhunu, Rajasthan/Thalku Bhunkhel, Ward 18, Kathmandu, Nepal. Tamnna Agrawal Passport No. 06027303279 D/o Sudhir Goyal Agrawal and Smt. Madhuri Agrawal R/o 1/39, Purano Bazar, Sunsari, Dharan, Nepal Address in Nepal have got married at Hotel Anand, Pashupati Airport Road, Kathmandu Date of Marriage Friday, 04 July 2025 as per Indian Traditions. Since, then we have been Living as Husband and Wife. We have published this notice for Registration of our Marriage at Embassy of India, Kathmandu. If anyone has any objection to the marriage, He/she can contact +977-9851107021 and Embassy of India, Kathmandu on cons.kathmandu@mea.gov.in

कार्यालय उप तहसीलदार उप तहसील बगरू तह. सांगानेर
क्रमांक/भू.अ./2025/1724 दिनांक-06.10.2025
आम सूचना
जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री सन्दीप सिंह पुत्र मदनलाल जाति धानक निवासी ए-699 विद्युत नगर जयपुर द्वारा मृतक खातेदार सरती देवी पत्नि रामजीलाल जाति धानक के नाम ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला के ख.नं. 340, 345, 386, 388/553 किता-4 रकबा 0.59 हैक्ट. हिस्सा सम्पूर्ण की विरासत का नामान्तरण मृतक खातेदार के बजाय मुताबिक वसीयतनामा के सन्दीपसिंह पुत्र मदनलाल जाति धानक निवासी ए-699, विद्युत नगर जयपुर के पक्ष में खोलने की कार्यवाही कार्यालय हाजा में प्रकरण संख्या 17/2025 अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विचाराधीन है।
खातेदार सरतीदेवी पत्नि रामजीलाल जाति धानक निवासी ग्राम थसेडा तह. बुहाना जिला झुंझुनू की दिनांक 08.03.2015 को मृत्यु हो चुकी है। वसीयत दिनांक 14.09.2013 के आधार पर मृतक खातेदार के बजाय सन्दीपसिंह पुत्र मदनलाल जाति धानक निवासी ए-699 विद्युत नगर जयपुर के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने पर किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/दावा/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा। सूचित रहें।
उप तहसीलदार, बगरू, जिला जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

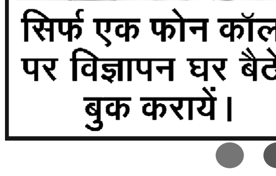

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2025/डी- दिनांक: 07.10.2025
जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तांतरण पत्र हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीड धारक का नाम	भूखण्ड संख्या एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स. सं. निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिस के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री आकाश टांक पुत्र श्री वासुदेव टांक	श्रीमती अल्का खण्डेलवाल पत्नि श्री दिनेश कुमार खण्डेलवाल	ई-132 एवं 45.00 वर्गमीटर	जयपुर विकास प्राधिकरण	रघुनाथ विहार	नाम हस्तांतरण हेतु	एक से अधिक बार विक्रय पत्र होने से।

उपरोक्त का नाम हस्तांतरण पत्र जारी करने में किसी भी व्यक्ति/ हितधारी/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा। उपायुक्त: जोन-12, जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय नगर पालिका दूदू, जिला जयपुर
क्रमांक- न.पा.दू./2025-26/459 दिनांक-06.10.2025
आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका में निम्नानुसार आवेदकों ने अपने स्वामित्व दस्तावेजों के साथ आबादी भूमि नियमन हेतु आवेदन किया है।
क्र.सं.1-01, आवेदक का नाम- दूदू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, दूदू, पता- सरकारी अस्पताल के पास, दूदू, नाप (वर्गमीटर में)- 334.45, 02-श्रीमति कोशल्या पत्नी श्री रोड़मल शर्मा, मालपुरा रोड दूदू, 264.21, 03-श्री भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री मुल चन्द शर्मा, मालपुरा रोड दूदू, 486.71
अतः उपयुक्त आवेदकों के पक्ष में आबादी भूमि नियम (पट्टा) जारी करने बाबत किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज इस सूचना के जारी होने से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सूचना में अंकित अवधि पश्चात पत्रावलियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक....को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका दूदू जिला जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बस्सी जिला जयपुर राज.
महेश अग्रवाल बनाम नवनीत सैनी व अन्य
वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत
वाद संख्या 19सन् 2025
1. प्रेम प्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री प्रभूदयाल अरोड़ा, 2. गगन गोल्डी पुत्र श्री प्रेम प्रकाश अरोड़ा, 3. बीना मनचन्दा पत्नी स्व. श्री वेदप्रकाश मनचन्दा, पुत्री प्रभूदयाल अरोड़ा समस्त जातियान पंजाबी, निवासी 277, गुरूनानकपुरा, राजापार्क जयपुर राज. हाल निवासी 2/606 जवाहर नगर, जयपुर पूर्व
वादी ने आपके विरूद्ध उपरोक्त के लिए वाद सस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 10 माह 10 सन् 2025 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 18 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम

स्वच्छ फुलेरा-स्वस्थ फुलेरा
प्ररूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, फुलेरा
क्रमांक/न.पा.फु./2025-26/1820 दिनांक-07.10.2025
लोक सूचना
श्रीमती सुरज्ञान देवी पत्नि श्री मानाराम निवासी ग्राम पोस्ट श्रीरामपुरा वाया नरायना, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग (भू-रूपान्तरण) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-
जिले सहित तहसील का नाम-जिला जयपुर तहसील फुलेरा, ग्राम का नाम-फुलेरा, खसरा नं. खसरा नम्बर 341/2 रकबा 2.0232 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 कुल खसरा 01 कुल रकबा 2.0232 हैक्टेयर भूमि में से 2 हैक्टेयर अर्थात 20000 वर्गमीटर भूमि, क्षेत्र-2.0232 हैक्टेयर भूमि में से 2 हैक्टेयर अर्थात 20000 वर्गमीटर भूमि
इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ..... को जारी की गयी।
(सूर्यकान्त शर्मा) प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका मण्डल फुलेरा

नाम संशोधन
मैं कप्तान सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह आयु 38 साल जाति गुर्जर निवासी नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूं कि राहुल पंवार मेरा सगा पुत्र है। मेरे पुत्र के स्कूल प्रवेश के समय गलती से मेरे पुत्र का नाम RAHUL व मेरे पुत्र की मां का नाम SANTOSH व मेरे पुत्र की जन्म दिनांक 20.12.2012 करवा दी गई थी जो कि गलत है। जबकि सही नाम RAHUL PANWAR व मेरे पुत्र की मां का सही नाम SANTOSH DEVI व मेरे पुत्र की सही जन्म दिनांक 25.10.2012 है जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है यही सही है। भविष्य में इन्हे सही नाम जन्म तिथि से जाना जावें। - हस्ताक्षर

नोटिस हरखास व आम
न्यायालय अपर जिला वम सैशन न्यायाधीश क्रम सं. 1 हिण्डौन सिटी जिला करौली
पीठासीन अधिकारी:- मु.नं. 30/2024
बिट्टू बनाम शाखा प्रबन्धक एसबी आई बैंक शाखा निम्बाहेडा आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र. जारी करने
नोटिस बनाम हर खास आम
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रार्थी बिट्टू पुत्र स्व. जसवन्त सिंह गुर्जर उम्र 11 साल नि. मोडान का पुरा (लाहुरी) तहसील टोडाभीम हाल टोडाभीम हाल तहसील हिण्डौन जरिये संरक्षक विनोद सिंह पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर नि. मोडान का पुरा (लाहुरी) तहसील टोडाभीम हाल तह. हिण्डौन ने इस न्यायालय में अपने पिता स्व. जसवन्त सिंह गुर्जर फौज से सन 2012 में सेवानिवृति के बाद एस बी आई बैंक आदि विपधीगण सं. 1 व 2 के यहां सुरक्षा कर्मी के पद पर नियुक्त होने के बाद कोराना काल में दि. 18.5.2021 को प्रार्थी के पिता जसवन्त सिंह की दि. 18.5.2021 को मृत्यु हो गयी जिस मृतक पिता जसवन्त सिंह के नौकरी करने के दौरान मरणोपरान्त सेवा परिलाभों का भुगतान प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को कोई उज्र या आपत्ति हो तो वह स्वयं असालतन या अपने प्लीडर सहित दि. 17.10.2025 को समय 10:30 बजे उपस्थित होकर अपना उज्र पेश करे। अन्यथा एक पक्षीय सुना जाकर निर्णित कर दिया जावेगा। अतः यह नोटिस आज दि. 4.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
रीडर- न्यायालय अपर जिला एवम् न्यायाधीश क्रम सं. 1 हिण्डौन सिटी जिला करौली राज.।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-8/2025/डी- **विज्ञप्ति** दिनांक: 04.10.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीकुशल नगर के भूखण्ड संख्या 104 क्षेत्रफल 177.95 वर्ग गज का पट्टा 05.06.2008 श्री बाला प्रसाद सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी के नाम से जारी किया गया था। श्री बाला प्रसाद सैनी की मृत्यु दिनांक 10.05.17 को हो जाने के पश्चात इनके विधिक वारिसानों द्वारा श्रीमती सरोज सैनी पत्नी स्व. श्री बाला प्रसाद सैनी के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग निष्पादित किया गया। वर्तमान में इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदक के पक्ष में लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। उपायुक्त जोन-8 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना
आवास संख्या 1 घ 6, सी.ई.बी. योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री रामप्रकाश सतीजा पुत्र श्री भगवानदास को आवंटन पत्रांक 15356 दिनांक 11.12.1975 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा श्री रामप्रकाश सतीजा को आवास का कब्जा दिनांक 24.02.1976 को संभलवाया जा चुका था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 373 दिनांक 30.04.2001 को श्री रामप्रकाश सतीजा के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री रामप्रकाश सतीजा की मृत्यु दिनांक 09.05.2009 को हो जाने के उपरान्त उनकी उत्तराधिकारिणी पत्नी द्वारा मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक 2111 दिनांक 07.10.2009 को आवास का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण श्रीमती सत्यावन्ती के पक्ष में जारी कर दिया गया। श्रीमती सत्यावन्ती की मृत्यु दिनांक 20.08.2016 को हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी पुत्रों श्री गुलशन अरोड़ा व श्री हंसराज अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.06.2011 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत आवश्यक शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का संयुक्त रूप से मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1 घ 6, सी.ई.बी. योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री गुलशन अरोड़ा व श्री हंसराज अरोड़ा पुत्रान स्व. श्री रामप्रकाश सतीजा के पक्ष में आवास का संयुक्त रूप से मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत अलवर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/760
चूंकि प्रार्थी श्री SHREE BHUPENDRA SINGH DUDU TEHSIL DUDU JILA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास SHREE SHYAM MANDIR SEVA COMMITTEE DUDU JILA JAIPUR, SHREE SHYAM MANDIR SEVA COMMITTE TRUST FARM HOUSE KRISHI MANDI ROAD MUKAM POST DUDU JILA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नाम परिवर्तन

मैं गुडिया रानी पत्नी श्री विजय सिंह पुत्री श्री चन्द्र शेखर चोधरी उम्र 33 वर्ष निवासी प्लाट नं. 94 एस-ब्लॉक, नारायण विहार, कास्टल क्लाउड स्कूल के पास, मानसरोवर जयपुर (राज.) अपना नाम बदलकर गरिमा सिंह रख लिया है। भविष्य में गरिमा सिंह नाम से जाना पहचाना जाए।

मैं मुकेश वर्मा पुत्र श्री साधु राम कालावत, 48 शिव विहार मीनावाला पांच्यावाला जयपुर राज. पासपोर्ट में मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा दर्ज है, अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, पेनकार्ड आदी में मेरा नाम मुकेश वर्मा है, दोनों नाम मेरे ही है, भविष्य में मुझे मुकेश वर्मा के नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम हेमन्त कुमार जोशी से बदलकर हेमन्त जोशी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। निवासी-4415 पुरानी कोतवाली का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर

I Mohta Kamna Ramesh Kumar R/o Address: 507 altura 2, plot number 5, Mamta residency, sumer Nagar, Mansarovar, Jaipur as changed my Name from Mohta Kamna Rameshkumar to Kamna Mundhra for all future purposes.

Manish Kumar & Nisha Dhir R/o 67 G.P. Colony New Sanganer Road Mansarovar Jaipur 302029 Changing our Son Name from Yuvraj Kumar to Yuviaj Talwaniya for all future purposes.

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री शमसुर रहमान निवासी मकान नम्बर 2457, मौहल्ला पहाडगंज सूरजपोल जयपुर ने मकान सर्वे नम्बर 24707 मकान नम्बर 3493 मीठी कोठी का रास्ता, मोहम्मदी हॉस्पिटल के पास, सूरजपोल गेट जयपुर बून्दू खान के वारिसान जमीला बानो, ताहिर खान, जाहिद खां, साजिद खान, सादिका, शकीला बेगम, सायरा बानो, साजिदा बेगम, अकबर खान, फरजाना बानो, निलोफर बानो, आजम खान, शाहबाज खान, जावेद से खरीद करने का इकरारनामा कर रखा है कोई भी व्यक्ति उक्त मकान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति रखता है तो वह मेरे कार्यालय में 7 दिवस में सूचित करें व उक्त सम्पत्ति को खरीदने की चेष्टा ना करें क्योंकि उक्त सम्पत्ति मेरे मुवक्किल ने खरीद कर रखी है।
दिनांक-7.10.2025 शमी अली, एडवोकेट, मो.-9828075086

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-7400 दिनांक-26.09.2025
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 76/291 (MIG-A), (एरिया 72.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री प्रभु मोर्या पुत्र श्री गंगा राम मोर्या को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 14.05.2013 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 7632 दिनांक 14.06.2013 को जारी किया गया। श्री प्रभु मोर्या द्वारा श्री भरत बदलानी पुत्र स्व. श्री कीमत राय बदलानी को दिनांक 20.07.2012 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री भरत बदलानी के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री प्रभु मोर्या के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक, सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां दिनांक 11.09.2013 को पंजीकृत करवाये गये।
श्री भरत बदलानी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्रीमती लता बदलानी पत्नी श्री भरत बदलानी को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती लता बदलानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 08.03.2014 के द्वारा श्री पारस चन्द जैन पुत्र श्री नेमी चन्द जैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री पारस चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 22.01.2023 को हो जाने के कारण इनके उत्तराधिकारी श्री अभय जैन एवं श्री प्रवीण जैन पुत्रान श्री पारस चन्द जैन द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री अभय जैन एवं श्री प्रवीण जैन पुत्रान श्री पारस चन्द जैन का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दूदू जिला जयपुर
क्रमांक-भू.अ./2025/2663 दिनांक-03.10.2025
आम सूचना
जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री नारायण पुत्र मंगल जाति गुर्जर निवासी चरासडा द्वारा मृतक खातेदार मंगला पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी चरासडा के नाम ग्राम चरासडा में दर्ज खाता सं. 102 कुल किता 01 रकबा 3.39 हैक्ट. में हिस्सा 1/4 खाता संख्या 100 कुल किता 01 रकबा 10.67 हिस्सा 1/12 खाता संख्या 101 कुल किता 09 रकबा 9.76 हिस्सा 1/4 खाता संख्या 103 कुल किता 01 रकबा 2.64 हिस्सा 1/4, खाता संख्या 76 कुल किता 01 रकबा 0.03 हिस्सा 1/8, खाता संख्या 80 कुल किता 01 रकबा 1.66 हिस्सा 1/5 की विरासत का नामान्तरण मृतक खातेदार के बजाय नारायण पुत्र मंगल जाति गुर्जर निवासी चरासडा के पक्ष में खोलने की कार्यवाही कार्यालय हाजा में प्रकरण संख्या 11/2025 अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विचाराधीन है।
खातेदार मंगला पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी चरासडा की दिनांक 25.12.2024 को ही मृत्यु हो चुकी है। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.12.1995 के आधार पर मृतक खातेदार के बजाय नारायण पुत्र मंगल जाति गुर्जर निवासी चरासडा के पक्ष में विरासत का नामान्तरण खोले जाने पर किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/दावा/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
तहसीलदार (भू.अ.) दूदू, जयपुर

खोया पाया

प्लॉट नं. 5 पवनपुत्र-डी विस्तार पाच्यावाला सिरसी रोड (मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर) का मूल पट्टा रसीद साइट प्लॉन खो गया है मिलने पर सूचित करें- भगवान सिंह-9114883952

मैं नवीन चन्द थापलियाल पुत्र स्व. श्री गोपाल बल्व प्लाट नं. एफ-66 सुन्दर मार्ग सी-स्कीम जयपुर का असल पट्टा मय साइड प्लान जो कि नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा जारी किया गया था। उक्त दस्तावेज बगडिया भवन से प्लाट नं. एफ-66 के बीच में कहीं भी गुम हो गये। जिस किसी मिले वो उक्त पते पर सूचित करें। नवीन चन्द थापलियाल मो. 9214593491

मेरा मकान सं. 29-5-6 घरोंदा प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र भौतिक कब्जा पत्र, जमा रसीदें, कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें। विजय लता जैन - 8619746748

मेरा मकान सं. 7/GH4/B-309, Indra Gandhi Nagar, Jagat Pura, Jaipur का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9351385331

प्लॉट संख्या ए-1-सी, योजना जे.पी. कॉलोनी, जयपुर की समिति माधव नगर गृ.नि.स.स. द्वारा जारी रसीद गुम हो गई है। मिलने पर सम्पर्क करें। लक्ष्मी देवी-8739950008

प्लॉट संख्या 41, योजना गणेश नगर, सोडाला की समिति श्री गणेश हाउसिंग को-ऑपरटिव सोसायटी लि. द्वारा जारी साईड प्लान गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। राजेश कुमार धेड़ु-9460411494

मेरे भूखण्ड संख्या ई-193 श्याम नगर विस्तार रामपथ सोडाला, जयपुर का सोसायटी रसीद एवं साईट प्लान कहीं गुम हो गये है सूचित करें। सुलोचना राजगोपाल-9414051273

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, फुलेरा जिला जयपुर
क्रमांक-न.पा.फु./2025-26/1572 **आपत्ति सूचना** दिनांक-18.09.2025
एतद द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने 90क आवासीय हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है।

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	आवंटी का नाम	स्थान	प्रयोजनार्थ	क्षेत्रफल
1.	श्रीमती शारदा देवी पत्नि श्रीराम कृष्ण माली	महावीर कुमार अजमेरा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द अजमेरा	आवासीय भूखण्ड नं. 35 श्री बालाजी विहार नरैना रोड फुलेरा	90 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा	172.2 वर्गगज
2.	श्री इन्दु जैन पत्नि श्री सुरेश जैन	कुमारी समता अजमेरा पुत्री श्री महावीर कुमार अजमेरा	आवासीय भूखण्ड नं. 94 विनायक नगर नरैना बाईपास रोड फुलेरा	लीज फ्री होल्ड के अन्तर्गत आवासीय पट्टा	225 वर्गगज

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार 90क के अन्तर्गत आवासीय पट्टा/ईजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मियाद विधिमान्य दस्तावेजों हित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फुलेरा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांभर लेक (जयपुर)
कमांक/न.पा.सा./2025-26/1591 दिनांक 01.10.2025
आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शहरी सेवा शिविर-2025 अन्तर्गत आवेदकों द्वारा पंजीकृत दस्तावेज/कब्जे के सबूत पेश कर स्टेट ग्रांट पट्टे हेतु आवेदन किया हैं :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	क्षेत्रफल
1	श्री सोहनलाल शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा, चौबदारों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभर लेक	चौबदारों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभर लेक	263.82 वर्गगज
2	श्रीमति मंजू देवी पत्नि श्री सोहन लाल शर्मा, चौबदारों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभर लेक	चौबदारों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभर लेक	65.60 वर्गगज
3	श्रीमति सोहनी देवी गोयल पत्नि श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, सांभर लेक	स्टेशन रोड, सांभर लेक	176.75 वर्गगज
4	श्री सुवा पुत्र श्री इन्दा रैगर, सांभर लेक	वार्ड नंबर 05, पोस्ट ऑफिस के पीछे, सांभर लेक	88.86 वर्गगज
5	श्रीमति सुशीला कुमावत पत्नि श्री दूर्गा लाल कुमावत, तेली दरवाजा, नेहरू पार्क के पास, सांभर लेक	तेली दरवाजा, नेहरू पार्क के पास, सांभर लेक	365.68 वर्गगज

अतः उपर्युक्त आवेदकों के पक्ष में स्टेट ग्रांट पट्टा जारी करने बाबत किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज इस सूचना के जारी होने से 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे। बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। सूचना में अंकित अवधि पश्चात पत्रावलियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज/साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के अभाव में नियमन/पट्टा जारी नही होने के लिये आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
राज.संवाद/सी/25/11504 अधिशाषी अधिकारी